पत्रांक/एम0डी0एम0/ 411–415 / 2020–2021 दिनाक: 01·3·2021

ई–निविदा विज्ञप्ति

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13–08–2015 एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक म0भो0प्रा0/सी–760/2016–17 दिनांक 10–06–2016 में दिये गये निर्देशानुसार शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु जनपद शामली के राजकीय विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों एवं नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में संचालित कक्षा 1–5 एव कक्षा 6–8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को मध्यावकाश में निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गरम पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति अनुभवी एवं पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्ताव/आवेदन ई–टेण्डर वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** के माध्यम से दिनांक 15–03–2021 की प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित हैं, तदोपरान्त ई–निविदा दिनांक 17–03–2021 को अपरान्ह 3:00 बजे जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी, ई–निविदा खोले जाने के समय निविदादाता चयन समिति के समक्ष कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

नोट–1: निविदा की शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या 541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 के अनुसार रहेंगी, जिनका पालन अनिवार्य है, उक्त शासनादेश एवं मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति हेतु विद्यालयों एवं छात्र संख्या का विवरण ई–टेण्डर पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

नोट–2: ई–टेण्डर के पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर चयन हेतु अर्हता/पात्रता एवं स्वयं सेवी संस्था के पास उपलब्ध अभिलेखों/अवस्थापना निर्माण/केन्द्रीय किचेन के संचालन हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपलब्धता/वित्तीय इन्फास्ट्रक्चर/कार्य अनुभव/वाहन क्षमता/मशीनीकृत सेन्ट्रल किचेन इत्यादि के अनुसार निर्धारित अंक सम्बन्धी **निर्धारित प्रारूप (तीन पृष्ठ)** को पूर्ण रूप से भरकर डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित स्केन करने के उपरान्त वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा अर्हता/पात्रता एवं अंक निर्धारण सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की सत्यापित प्रति (वांछित शपथ–पत्रों सहित) ई–निविदा खोले जाने की तिथि 17–03–2021 की अपरान्ह 12:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा किसी भी दशा में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट–3: आवेदन करने वाली स्वयं सेवी संस्था द्वारा **"जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली"** के नाम से देय धनराशि रूपये 2000/–(रूपये दो हजार मात्र) का नॉन रिफण्डेबिल डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि के बाद निर्गत किया गया हो, ई–निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित तिथि 17–03–2021 की अपरान्ह 12:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट–5: आवेदन करने वाली स्वयं सेवी संस्था द्वारा **रु0 3,00,000/– (रु0 तीन लाख)** धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी) के रूप में "**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली**" के पदनाम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट, जोकि रिफण्डेबिल होगा, को ई–निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित तिथि 17–03–2021 की अपरान्ह 12:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट–6: स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शामली का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा शामली न्याय क्षेत्र के अधीन होगा।

Jitendra 01/03/2021
(जितेन्द्र कुमार)
जिला समन्वयक–एम0डी0एम0
शामली

(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली

पृ0सं0: एम0डी0एम0/ 411–415 **/2020–21 दिनांक उक्तवत्।**
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, शामली।
3. मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, शामली।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस आशय से प्रेषित उक्त विज्ञप्ति **https://etender.up.nic.in** पर अपलोड कराने के उपरान्त एन0आई0सी0 शामली की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

01·3·2021
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली

शासनादेश संख्या 541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 के अर्हता/पात्रता के मानक विवरण			
क0स0	बिन्दु	विवरण हॉ/नहीं	संलग्न साक्ष्यों एवं शपथ पत्रों का विवरण पेज नं0
1	स्वयं सेवी संस्था का नाम		
2	स्वयं सेवी संस्था का पता		
3	संस्था के प्रतिनिधि का नाम		
4	संस्था के प्रतिनिधि का पदनाम		
5	संस्था के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर		
6	स्वयं सेवी संस्था राज्य में लागू अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न रूप से सोसायटी एक्ट 1860 अथवा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत है अथवा नहीं		
7	स्वयं सेवी संस्था राजनीतिक अथवा धार्मिक है अथवा नही (शपथ पत्र संलग्न करें)		
8	स्वयं सेवी संस्था का नियमित नवीनीकरण किया गया है अथवा नहीं		
9	स्वयं सेवी संस्था के वैधानिक अस्तित्व हेतु स्वयं सेवी संस्था विगत तीन वर्षो से कार्यरत है अथवा नहीं (शपथ पत्र संलग्न करें)		
10	संस्था आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय वैध है अथवा नहीं। (संस्था के निरन्तर नवीनीकरण का शपथ पत्र संलग्नक करें)		
11	स्वयं सेवी संस्था को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा इनके किसी अभिकरण एवं सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (सी0एस0डब्लू0बी0) या काउंसिल फार दि एडवान्समेन्ट आफ पीपुल्स ऐक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट) द्वारा काली सूची में डाला गया है अथवा नहीं (शपथ पत्र संलग्न करें)		
12	स्वयं सेवी संस्था किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के वित्तीय लाभ के लिए संचालित न हो रही हो तथा संस्था मध्यान्ह भोजन योजना का कार्य "न लाभ–न हानि" सिद्धान्त के तहत् त्र कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है अथवा नहीं (शपथ पत्र संलग्न करें)		
13	स्वयं सेवी संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 12–ए के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं		

15	स्वयं सेवी संस्था के पास पैन नम्बर उपलब्ध है अथवा नहीं		
16	स्वयं सेवी संस्था का मुख्य कार्यालय स्थापित है अथवा नहीं, यदि हॉं तो मुख्य कार्यालय पर कार्यरत पूर्णकालिक कर्मियों का विवरण		
17	स्वयं सेवी संस्था का शाखा कार्यालय स्थापित है अथवा नहीं, यदि हॉं तो मुख्य कार्यालय पर कार्यरत पूर्णकालिक कर्मियों का विवरण		
18	स्वयं सेवी संस्था को विगत तीन वर्षे में कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा संचालित उपकम/अभिकरणों से 30 लाख तक अनुदान प्राप्त कर कार्य किया गया है अथवा नहीं।		
19	स्वयं सेवी संस्था द्वारा गत वर्षों में प्राप्त अनुदान की वैध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित ऑडिट आख्या एवं बैलेंसशीट की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है अथवा नहीं		
20	स्वयं सेवी संस्था द्वारा गत तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि में योजनान्तर्गत किसी राज्य/जिला में अच्छा कार्य किये जाने का साक्ष्यों सहित विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं		
21	स्वयं सेवी संस्था के विरूद्ध गत तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि में योजनान्तर्गत किसी राज्य/जिला में खराब प्रदर्शन के लिए की गई कार्यवाही का विवरण। (यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका विवरण)		
22	स्वयं सेवी संस्था खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवेदन की तिथि को पंजीकृत है अथवा नहीं		
23	स्वयं सेवी संस्था के शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के किसी वैधानिक वाद में योजित है अथवा नहीं (शपथ पत्र संलग्न करें)		

शपथ–पत्र

मैं..(संस्था में पदनाम)..शपथपूर्वक बयान करता हुँ कि मेरे द्वारा एन0जी0ओ0 चयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 को पढ़ एवं समझ लिया गया है, के कम में उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतया: सत्य एवं सही है, भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति, भ्रामक तथ्य अथवा कूटरचित स्थिति पाये जाने पर पर मेरी संस्था का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने अथवा संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा विसंगति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी विषम परिस्थिति के लिए मेरी संस्था एवं मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं जिम्मेदार रहूँगा तथा समय–समय प्राप्त विभागीय निर्देशों का पालन करूँगा।

स्वयं सेवी संस्था के सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर

स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष के मुहर सहित हस्ताक्षर

स्वय सेवी संस्था का नाम, दूरभाष सहित पता एवं प्रतिनिधि का नाम						
क्र0	शासनादेश संख्या 541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 के अर्हता/ पात्रता के मानक सम्बन्धी बिन्दु का विवरण	अधिकतम निर्धारित अंक का विवरण	बिन्दु	मानक के अनुसार निर्धारित अंक	संस्था द्वारा स्वयं सम्बन्धित कॉलम में √ किया जायेगा	बुकलेट में रक्षित साक्ष्य का पेज नम्बर
1	बिन्दु–5 में अंकित मानकों की पूर्ति होने पर	15	1. 12 ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र	5		
			2. 80 जी के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र	5		
			3. पैन कार्ड की उपलब्धता	5		
2	बिन्दु–6 में अंकित मानकों की पूर्ति होने पर	10	1. मुख्य/शाखा कार्यालय स्थापित होने पर पते सहित विवरण	5		
			2. मुख्य/शाखा कार्यालय पर कार्यरत पूर्णकालिक कर्मी का विवरण	5		
3	बिन्दु–7 में अंकित मानकों की पूर्ति होने पर	20	अनुदान प्राप्त होने पर 1. 30 लाख तक प्राप्त अनुदान	5		
			2. 30 से 50 लाख तक प्राप्त अनुदान	10		
			3. 60 लाख से अधिक प्राप्त अनुदान	20		
4	बिन्दु–9 में अंकित मानक योजनान्तर्गत कार्यनुभव की पूर्ति होने पर	20	1. 03 वर्ष पर	5		
			2. 03 से 06 वर्ष पर	10		
			3. 06 वर्ष से अधिक पर	20		
5	बिन्दु–8 में अंकित मानक योजनान्तर्गत कार्यनुभव की पूर्ति होने पर	30	1. केन्द्रीय किचेन प्रस्तावित होने पर	5		
			2. भोजन पहुँचाने हेतु वाहन व्यवस्था भोजन पहुँचाने हेतु ठेला होने पर	0		
			भोजन पहुँचाने हेतु 01 से 02 मोटर वाहन होने पर	3		
			भोजन पहुँचाने हेतु 02 से अधिक मोटर वाहन होने पर	5		
			भोजन पहुँचाने हेतु 01 से अधिक इन्सुलेटेड वैन होने पर	7		
			3. रोटी मेकिंग मशीन होने पर	2		
			4. ब्वायलर होने पर	2		
			5. चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर होने पर	2		
			6. बेजिटेबिल कटिंग मशीन होने पर	2		
			7. आटा गूथने की मशीन होने पर	2		
			8. भोजन पकाने हेतु पर्याप्त बर्तन होने पर	3		
			9. किचेन में कार्यरत कर्मचारी/रसोईया की संख्या शासनादेश सं0–435/79–6–2010 दिनांक 24.04.2010 में जारी मानक के अनुसार होने पर	5		
6	चयन समिति के साक्षात्कार पर	5	साक्षात्कार समिति के सदस्यों पर निर्भर			

शपथ–पत्र

मैं..(संस्था में पदनाम)..शपथपूर्वक बयान करता हुँ कि मेरे द्वारा एन0जी0ओ0 चयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 को पढ़ एवं समझ लिया गया है, के कम में उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतयाः सत्य एवं सही है, भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति, भ्रामक तथ्य अथवा कूटरचित स्थिति पाये जाने पर पर मेरी संस्था का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने अथवा संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा विसंगति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी विषम परिस्थिति के लिए मेरी संस्था एवं मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं जिम्मेदार रहूँगा तथा समय–समय प्राप्त विभागीय निर्देशों का पालन करूँगा।

स्वयं सेवी संस्था के सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर

स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष के मुहर सहित हस्ताक्षर

जनपद-शामली में सत्र 2021-22 में एन0जी0ओ0 के माध्यम से मध्यान्ह भोजन के वितरण हेतु आंवटित विद्यालयों तथा छात्र संख्या का विवरण

वि0 क्र0 सं0	क्र0 सं0	विकास/नगर क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय प्रकार	संचालित कक्षा	छात्र नामांकन 1 से 5	छात्र नामांकन 6 से 8
1	1	शामली	के0के0 जी0एस0 इन्टर कॉलिज भैसवाल	माध्यमिक	6 से 8	0	122
2	2		आर0डी0 इन्टर कॉलिज सिक्का सिलावर	माध्यमिक	6 से 8	0	327
3	3		वैदिक इन्टर कॉलिज, कुरमाली	माध्यमिक	6 से 8	0	195
4	4		जनता वैदिक इन्टर कॉलिज, बहावड़ी	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	142
5	5		राजकीय इन्टर कॉलिज, लिलौन	राजकीय	6 से 8	0	44
6	6		श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय, लाक	माध्यमिक	6 से 8	0	38
कुल योग						**0**	**868**
7	1	नगर शामली	वी0वी0 इन्टर कालिज शामली	माध्यमिक	6 से 8	0	86
8	2		राष्ट्रीय किसान इन्टर कालिज, शामली	माध्यमिक	6 से 8	0	90
9	3		ब्रिगेडियर होशियार सिंह इन्टर कालिज शामली	माध्यमिक	6 से 8	0	45
10	4		देशभक्त इन्टर कालिज शामली	माध्यमिक	6 से 8	0	132
11	5		हिन्दू कन्या इन्टर कालिज शामली	माध्यमिक	6 से 8	0	208
12	6		श्री जैन कन्या इन्टर कालिज, शामली	माध्यमिक	1 से 8	189	335
कुल योग						**189**	**896**
13	1	कैराना	सुशीला देवी राजेन्द्र लाल उ0मा0वि0 टिटौली	माध्यमिक	6 से 8	0	58
14	2		राजकीय इण्टर कालेज इस्सोपुर खुरगान	राजकीय	6 से 8	0	50
15	3		पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इन्टर कॉलिज, तितरवाड़ा	राजकीय	6 से 8	0	24
कुल योग						**0**	**132**
16	1	नगर कैराना	पब्लिक इन्टर कालिज, कैराना	माध्यमिक	6 से 8	0	152
17	2		आर्य कन्या इन्टर कालिज कैराना	माध्यमिक	6 से 8	0	185
18	3		दिगम्बर जैन कन्या इन्टर कालिज, कैराना	माध्यमिक	1 से 8	150	160
19	4		जाकिर मैमोरियल	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	201
20	5		मकतब इस्लामियां	सहायताप्राप्त	1 से 5	451	0
कुल योग						**601**	**962**
21	1	कान्धला	मुरली मनोहर इन्टर कॉलिज ईशोपुरटील	माध्यमिक	6 से 8	0	113
22	2		इन्टर कालिज एलम	माध्यमिक	6 से 8	0	394
23	3		बाबू जवान सिंह इन्टर कालिज खन्दरावली	माध्यमिक	6 से 8	0	353
24	4		जनता इन्टर कालिज लिसाढ	माध्यमिक	6 से 8	0	126
25	5		महर्षि कश्यप इन्टर कालिज नाला	माध्यमिक	6 से 8	0	220
26	6		चन्दनलाल इन्टर कालिज कान्धला	माध्यमिक	6 से 8	0	366
27	7		राजीय इन्टर कालेज, खेड़ा कुरतान	राजकीय	6 से 8	0	30
कुल योग						**0**	**1602**

Jitendra
DC (MDM)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली

क्र0 सं0	सं0	क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	प्रकार	कक्षा	1 से 5	6 से 8
28	1	नगर कान्धला	हिन्दू कन्या इन्टर कालिज कान्धला	माध्यमिक	6 से 8	0	196
29	2		राजकीय बालिका इन्टर कालिज कान्धला	राजकीय	6 से 8	0	490
			कुल योग			**0**	**686**
30	1	थानाभवन	जनता इन्टर कालिज बाबरी	माध्यमिक	6 से 8	0	412
31	2		लाला लाजपत राय कन्या इन्टर कालिज थानाभवन	माध्यमिक	6 से 8	0	399
32	3		लाला लाजपत राय इन्टर कालिज थानाभवन	माध्यमिक	6 से 8	0	273
33	4		किसान इन्टर कालिज थानाभवन	माध्यमिक	6 से 8	0	286
34	5		नेशनल इन्टर कालिज जलालाबाद	माध्यमिक	6 से 8	0	113
35	6		आदर्श जनता उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय हसनपुर लुहारी	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	236
36	7		श्री धर्मनाथ जूनियर हाई स्कूल गोगवान जलालपुर	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	109
37	8		जानकीदास जू0 हाई0 स्कूल कैडी	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	307
38	9		राजकीय इण्टर कालेज उमरपुर	राजकीय	6 से 8	0	86
			कुल योग			**0**	**2221**
39	1	ऊन	राजकीय यमुना इन्टर कालिज कमालपुर	राजकीय	6 से 8	0	82
40	2		जय सीता राम किसान इन्टर कालिज झिझाना	माध्यमिक	6 से 8	0	193
41	3		जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालिज गढी पुख्ता	माध्यमिक	6 से 8	0	181
42	4		डी0ए0वी0 इन्टर कालिज, ऊन	माध्यमिक	6 से 8	0	320
43	5		आर0एस0एस0 इन्टर कालिज, झिंझाना	माध्यमिक	6 से 8	0	469
44	6		आदर्श इन्टर कालिज, मालेण्डी	माध्यमिक	6 से 8	0	129
45	7		सर्वहित कारी कन्या जू0हा0स्कूल गढी पुख्ता	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	**216**
46	8		सर्वहित कारी जू0हा0 दुल्लाखेडी	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	**136**
47	9		लाल बहादुर शास्त्री ज0हा0स्कूल गढी पुख्ता	सहायताप्राप्त	6 से 8	0	105
48	10		पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इन्टर कॉलिज, ऊन	राजकीय	6 से 8	0	41
49	11		राजकीय इण्टर कालिज, केरटू	राजकीय	6 से 8	0	47
			कुल योग			**0**	**1919**
50	1	नगर शामली	प्राथमिक विद्यालय नं0–1 व नं0–2 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 5	152	0
51	2		प्राथमिक विद्यालय नं0–3 व नं0–9 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 5	124	0
52	3		प्राथमिक विद्यालय नं0–5 व नं0–12 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 5	234	0
53	4		प्राथमिक विद्यालय नं0–7	परिषदीय	1 से 5	163	0
54	5		प्राथमिक विद्यालय नं0–13	परिषदीय	1 से 5	133	0
55	6		प्राथमिक विद्यालय नं0–15	परिषदीय	1 से 5	93	0
56	7		कन्या जू0हा0स्कूल नं–1, प्राथमिक विद्यालय नं0–4 व नं0–12 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	157	62
57	8		कन्या जू0हा0स्कूल नं–2, प्राथमिक विद्यालय नं0–6 व नं0–8 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	172	63
58	9		बालक जू0हा0स्कूल, प्राथमिक विद्यालय नं0–10 व नं0–14 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	281	110
			कुल योग			1509	235

Jitendra
DC (MDM)

क्र0 सं0	सं0	क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय प्रकार	संचालित कक्षा	1 से 5	6 से 8
59	1	नगर कैराना	प्राथमिक विद्यालय आलखुर्द	परिषदीय	1 से 5	157	0
60	2		प्राथमिक विद्यालय अन्सारियान	परिषदीय	1 से 5	163	0
61	3		प्राथमिक विद्यालय दरबार कंला	परिषदीय	1 से 5	133	0
62	4		प्राथमिक विद्यालय कन्या नं0–3 (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	313	0
63	5		प्राथमिक विद्यालय जदीद (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	411	0
64	6		प्राथमिक विद्यालय शास्त्री (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	252	0
65	7		बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय (संविलयन विद्यालय)	परिषदीय	1 से 8	296	128
कुल योग						**1725**	**128**
66	1	नगर कान्धला	प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–1	परिषदीय	1 से 5	247	0
67	2		प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–2	परिषदीय	1 से 5	136	0
68	3		प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–3	परिषदीय	1 से 5	448	0
69	4		प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–5	परिषदीय	1 से 5	170	0
70	5		प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–6	परिषदीय	1 से 5	149	0
71	6		प्राथमिक विद्यालय बालक नं0–7	परिषदीय	1 से 5	243	0
72	7		प्राथमिक विद्यालय कन्या नं0–2	परिषदीय	1 से 5	120	0
73	8		प्राथमिक विद्यालय कन्या नं0–3	परिषदीय	1 से 5	218	0
74	9		प्राथमिक विद्यालय कन्या नं0–5	परिषदीय	1 से 5	241	0
कुल योग						**1972**	**0**
कुल आवंटित छात्र						**5996**	**9649**

Jitendra
DC (MDM)
Shamli

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली

आ०प० 172

प्रेषक, संख्या–541/79–6–15–27/2015

एच०एल० गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 13·8· ~~जुलाई~~, 2015

विषयः–जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन/कियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र सं०–म०भो० प्रा०–4585/2014–15 दिनांक 05.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन/कियान्वयन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय :–

1 <u>अर्हता/पात्रता के बिन्दु</u>

(1) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाऍ) राज्य में लागू अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न रूप से सोसाइटी एक्ट 1860 अथवा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत हों एवं राजनीतिक व धार्मिक न हों तथा संस्था का पंजीकरण–प्रमाणपत्र आवेदन प्रस्तुत करते समय वैध हो और उसका नवीनीकरण भी निरन्तर किया गया हो।
(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के वैधानिक अस्तित्व हेतु स्वैच्छिक संस्था कम से कम तीन वर्षो से कार्यरत हों।
(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा इनके किसी अभिकरण एवं सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (सी०एस०डब्लू०बी०) या काउंसिल फार दि एडवान्समेन्ट आफ पीपुल्स ऐक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट) द्वारा काली सूची मे डाला न गया हो।
(4) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्था) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के वित्तीय लाभ के लिये संचालित न हो रही हो तथा मध्यान्ह भोजन योजना का कार्य "न लाभ –न हानि" सिद्धांत के तहत् कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हो।
(5) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 12–ए एवं 80 जी के अर्न्तगत पंजीकृत हो तथा संस्था का पैन नम्बर हो।
(6) केवल वही गैर सरकारी संस्था ही पात्र होगी जिसका अपना प्रशासनिक ढाँचा (मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय पूर्णकालिक कर्मी सहित) कम से कम 3 वर्ष से मौजूद हो। संस्था को कार्य आवंटित होने पर स्थानीय स्तर पर अपना ढाँचा स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(7) केवल वही गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाऍ) आवेदित जनपद के लिय चयन हेतु पात्र होगी, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो में कम से कम एक वर्ष भारत

R.P. GD-14

सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा संचालित उपक्रम/अभिकरणों से 30 लाख तक अनुदान प्राप्त कर कार्य किया गया हो। संस्थाओं को गत वर्षो में प्राप्त अनुदान की वैध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित ऑडिट आख्या एवं बैलेंसशीट की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8) मध्यान्ह भोजन योजना के अर्न्तगत यदि किसी संस्था द्वारा पूर्व में किसी जनपद में कार्य किया गया हो, तो उनके अनुभव एवं गुण–दोष के आधार पर चयन में प्राथमिकता हेतु विचार किया जायेगा।

(i) यदि किसी संस्था द्वारा गत तीन वर्षो या उससे अधिक अवधि में योजनान्तर्गत किसी राज्य/जिला में अच्छा कार्य किया गया हो तो उनके चयन में वरीयता प्रदान की जा सकती है।

(ii) ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं को योजना में शामिल नहीं किया जायेगा, जिनका पूर्व में योजनान्तर्गत खराब प्रदर्शन रहा हो।

(9) स्वैच्छिक संस्था का अवस्थापना निर्माण तथा योजना के संचालन हेतु वित्तीय क्षमता का ऑकलन सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधन यथा–इन्फ्रास्ट्रक्चर/अधिकारी, कर्मचारी, रसोइया जैसे भोजन पहुँचाने हेतु मोटर वाहन एवं मशीनीकृत सेन्ट्रल किचेन की स्थापना की क्षमता के अनुसार होनी चाहिये।

(10) भारत सरकार के दिशा निर्देश तथा प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–394/79–6–00–1(5)/06 दिनांक 17.02.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत उन्हीं ग्रामीण/नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्था को भोजन वितरण का कार्य सौंपा जा सकता है, जिसमें ग्रामप्रधान/वार्ड सभासदों द्वारा भोजन बनाने में असमर्थता व्यक्त कर दी जाय, का अनुपालन किया जाना होगा।

2– चयन प्रक्रिया

(1) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) का चयन जनपद स्तर पर गठित एक 06 सदस्यी चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे:–

- ✓ जिलाधिकारी –अध्यक्ष
- ✓ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य/सचिव
- ✓ जिला समन्वयक(एम0 डी0 एम0) –सदस्य
- ✓ वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा –सदस्य
- ✓ जिलाधिकारी द्वारा 02 व्यक्तियों को नामित किया जायेगा। (जिसमें 01 स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होगा एवं 01 जनपद स्तरीय प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0/अर्द्धसरकारी उपक्रम का सदस्य होगा)

(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के चयन हेतु किन्ही दो पंजीकृत विस्तृत प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में जिन क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के माध्यम से भोजन वितरण किया जाना है, उसका उल्लेख अवश्य किया जाएगा। यथा–वार्ड/टाउन एरिया का नाम, कुल अवस्थित विद्यालयों की संख्या तथा इन विद्यालयों में कुल नामांकन, जिससे कि गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाऐं) अपनी क्षमता के आधार पर अपना प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष रख सके।

(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि

R.P. GO-11

गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को उनके आवेदन पत्र प्राप्त की तिथि का अंकन करते हुए जिला बेसिक शिक्षा द्वारा नामित/अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये समस्त आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में दर्ज कर निर्धारित तिथि में चयन समिति के समक्ष खोला जाएगा।

(4) जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा अर्हता/पात्रता आदि शर्तों के आधार पर समस्त आवेदन पत्रों का विधिवत परीक्षण किया जाएगा।

(5) चयन प्रक्रिया में अर्हता/पात्रता के मानको की पूर्ति होने पर निम्नानुसार अंक प्रदान किए जायेगे:-(चयन प्रक्रिया 100 अंक की होगी)

क्र0	विवरण/अहर्ता/ पात्रता	अंक	टिप्पणी
1.	बिन्दु-5 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	15	12 ए होने पर 05 अंक 80 जी होने पर 05 अंक पैन कार्ड होने पर 05 अंक
2.	बिन्दु-6 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	10	मुख्य/शाखा कार्यालय होने पर 05 अंक मुख्य/शाखा कार्यालय पर पूर्णकालिक कर्मी होने पर 05 अंक।
3.	बिन्दु-7 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	20	30 लाख तक 05 अंक। 30 से 50 लाख तक 10 अंक। 60 से अधिक पर 20 अंक।
4.	बिन्दु-8 में अंकित मानक योजनान्तर्गत कार्यनुभव की पूर्ति होने पर	20	03 वर्ष पर 05 अंक। 03 से 06 वर्ष तक 10 अंक। 06 वर्ष से अधिक पर 20 अंक।
5.	बिन्दु-9 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	30	केन्द्रीयकृत किचेन हेतु उपर्युक्त स्थल प्रस्तावित होने पर 05 अंक। **भोजन पहुचाने हेतु वाहन की व्यवस्था पर निम्नानुसार अंक है:-** ठेला होने पर 0 अंक। 01 से 02 मोटर वाहन होने पर 03 अंक। 02 से अधिक मोटर वाहन होने पर 05 अंक। 01 या अधिक इन्सुलेटेड वैन होने पर 07 अंक। **रोटी मेकिंग मशीन होने पर 02 अंक।** **ब्वायलर होने पर 02 अंक।**

R.P. GO-14

			चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर होने पर 02 अंक। **बैजिटेबिल कटिंग मशीन होने पर 02 अंक।** **आटा गुथने की मशीन होने पर 02 अंक।** भोजन पकाने हेतु पर्याप्त मात्रा में बर्तन होने पर 03 अंक। किचेन में कार्यरत कर्मचारी/रसोईया की संख्या शासनादेश सं0-435/79-6-2010 दिनांक 24.04.2010 में जारी मानक के अनुसार होने पर 05 अंक।
6	चयन समिति के साक्षात्कार पर	05	समिति के सदस्यों पर निर्भर

(6) चयन समिति द्वारा गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) का उपरोक्त प्रकिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से अन्तिम चयन किया जाएगा एवं चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची तत्काल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।

(7) चयन समिति द्वारा योजना हेतु आवंटित संस्था के केन्द्रीयकृत किचेन के नियमित निरीक्षण हेतु एक अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा पकाये जाने वाले भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह अपनी आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– **भोजन पकाने एवं वितरण की शर्ते**

(1) भोजन शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू/पौष्टिक मात्रा के अनुसार ही प्रतिदिन विद्यालय कार्यदिवस में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को अनिवार्य रूप से उनको आवंटित विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मध्यावकाश में भोजन उपलब्ध कराना होगा।

(3) एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन से विद्यालय तक भोजन ढक्कनदार कन्टेनरों में पहुंचाया जाय।

(4) एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालय तक खाना पहुँचाने में विशेष सजगता बरती जायेगी तथा इस प्रकार का प्रबन्धन किया जायेगा कि मध्यावकाश में छात्रों को गर्म तथा ताजा भोजन प्राप्त हो सके।

(5) एन0जी0ओ0, केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से तैयार भोजन खिलाये जाने पर यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) की होगी, जिस हेतु गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(6) एन0जी0ओ0 द्वारा मिड-डे-मील उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी गाड़ियों का रोडमैप एवं चालक का विवरण (फोटो, चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति व

R.P. GO-14

मोबाइल नम्बर) तथा गाडियों के रजिस्ट्रेशन की प्रति एन0जी0ओ0 के केन्द्रीयकृत किचेन पर होना आवश्यक है तथा गाड़ियों के आवागमन का समय भी अंकित हो। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में गाड़ी आने का समय भी अंकित किया जाय।

(7) प्रत्येक चालक तथा कुक कम हैल्पर के पास एन0जी0ओ0 संचालक द्वारा प्रमाणित तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पहचान पत्र होना अनिवार्य है। एन0जी0ओ0 संचालक द्वारा एन0जी0ओ0 में कार्यरत समस्त स्टाफ के चरित्र के संबंध में भी पुष्टि की जानी होगी यथा– उनका कोई क्रिमिनल रिकार्ड ना हो।

(8) केन्द्रीयकृत किचेन से विद्यालय स्तर तक भोजन ले जाने वाले कर्मियों का विवरण विद्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों पर रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण कार्य में लगे कर्मियों को संस्था एक तरह की वर्दी व नेम प्लेट अवश्य देगी। यदि किसी कारणवश भोजन वितरण करने वाले कर्मियों में फेर–बदल की जाती है तो ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी पूर्व से विद्यालय एवं कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहे पके–पकाये भोजन को सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से यदि स्कूली बच्चों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्ट्स का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन्स वर्ष 2006 के प्रस्तर– 3.91 एवं उसके उप प्रस्तरों में विहित दिशा निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स/निर्देशों का अनुपालन भी स्वयं सेवी संस्था को करना होगा।

(11) चयनित संस्था द्वारा समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 सर्टिफाइड प्रयोगशाला में अपने भोजन के सैम्पल की गुणवत्ता की जॉच करानी होगी तथा सैम्पल के जॉच आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।

4– <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

(1) मध्यान्ह भोजन योजना हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा जनपद में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोला जायेगा।

(2) संस्था को जनपद स्तर से परिवर्तन लागत के अन्तर्गत कोई अग्रिम धनराशि योजना के संचालन हेतु नहीं दी जायेगी।

(3) विद्यालयों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) द्वारा उपलब्ध कराये गये पके–पकाये भोजन, जो विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित हो, के अनुसार ही माहवार बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्वैच्छिक संस्थाओं के भुगतान के संबंध में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रांक:म0भो0प्रा0/सा0/सी0–4427/ 2012–13 दिनांक 20.02.2012 का

R.P. GO-14

अनुपालन किया जायेगा जिसमें उल्लेख है कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा माह की समाप्ति पर अगले माह की 07 तारीख तक बिल संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यपक द्वारा सत्यापित कराकर उपलब्ध कराया जाय, जो मध्यान्ह भोजन पंजिका के अनुसार हो और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 07 से 15 तारीख तक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसकी जॉच करा ली जाय। तत्क्रम में निर्णय लेकर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त 20 तारीख तक भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय।

(5) स्वयं सेवी संस्थाओं को रसोइया/हेल्पर हेतु जारी शासनादेश संख्या–435/79–6–10 दिनांक 24.04.2010 द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर ऑकलित रसोइयों की संख्या के अनुसार मानदेय रू0 1000/–प्रति रसोइया का भुगतान किया जायेगा।

(6) यदि संस्था/संगठन द्वारा नियमित रूप से निर्धारित मात्रा, मेन्यू एवं गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में संस्था को नोटिस देते हुए, उनके पक्ष की सुनवाई करने के उपरान्त संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5– **योजना क्रियान्वयन की शर्ते**

(1) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को जनपद द्वारा 01 वर्ष के लिए अनुबन्धित किया जायेगा तथा योजना अनुरूप कार्य संतोषजनक होने के आधार पर चयन समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं का पुनः 01–01 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में 03 वर्ष के पश्चात संस्था का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। पुनः विज्ञापन की प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार जनपद स्तर से आवंटित कुल विद्यालयों में योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर एक माह में कुल उपभोग होने वाले खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का स्थानीय दर के अनुसार धनराशि+परिवर्तन लागत के अनुसार कुल लागत की बैंक गारण्टी देना अनिवार्य होगा।

(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को शासन एवं प्राधिकरण स्तर से योजना हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को समय–समय पर जनपद, प्राधिकरण एवं शासन द्वारा मांगी जानी वाली रिपोर्ट एवं सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी।

(5) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को परिवर्तन लागत मद के अन्तर्गत गत माह के बिल आगामी माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा बिल समय से तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसके फलस्वरूप भुगतान में बिलम्ब आदि होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं सेवी संस्था की होगी।

(6) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को योजना से सम्बन्धित लेखा–बही, कैशबुक, स्टाक रजिस्टर आदि के समय–समय पर आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु जनपद, प्राधिकरण, शासन के अधिकारियों को सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि

R.P. CO-14

गुणवत्ता/पौष्टिकता बढ़ाने हेतु लगायी जा रही है, तो उसका विवरण पृथक से रखना होगा।

(7) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को वैध चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से प्रमाणित योजनान्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की वार्षिक आख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) द्वारा किसी भी दशा में योजनान्तर्गत प्राप्त किये गये खाद्यान्न एवं धनराशि को किसी अन्य योजना हेतु परिवर्तित (Divert) नहीं किया जायेगा और न ही संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था को अपने स्तर से कार्य हस्तान्तरित (Divert) किया जायेगा। ऐसा किये जाने पर संस्था के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने तथा ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(9) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को अनुबन्ध अवधि में नियमित तौर पर टास्क फोर्स समिति द्वारा मूल्यांकन/कार्य किया जायेगा। मूल्यांकन में यदि योजना के अनुरूप कार्य नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित संस्था को नोटिस जारी करते हुये **संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।** अध्यक्ष, चयन समिति/जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्ध समाप्त किया जायेगा। यदि किसी जनपद द्वारा गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को योजनान्तर्गत खराब गुणवत्ता एवं विभिन्न अनियमितताओं के कारण पृथक कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित संस्था को किसी अन्य जनपद द्वारा भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

(10) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयं सेवी का भी प्रतिनिधि होगा।

(11) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को विधिवत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संस्था द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का दुरूपयोग अथवा गबन किया जाता है, तो संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही (यथा एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना, काली सूची में डाला जाना, पंजीकरण, निरस्तीकरण की कार्यवाही इत्यादि) की जायेगी।

(12) चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यालयों से लाइसेन्स प्राप्त किये जाने होगें। यथा– खाद्य लाइसेन्स/फायर विभाग व अन्य संबंधित लाइसेन्स प्राप्त किये जाने होगे।

(13) स्वयं सेवी संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पत्र सं0–5688 दिनांक 17.12.2013 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेन्स प्राप्त करने की बाध्यता होगी।

(14) विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण कार्य में शिक्षकों की सहायता न लेने के दृष्टिगत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आच्छादित विद्यालयों में भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोईयॉ/हेल्पर में से एक के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु संस्था द्वारा रसोईयॉ/हेल्पर को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

R.P. CO-14

विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोईयॉं/हेल्पर में से एक के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु संस्था द्वारा रसोइयॉं/हेल्पर को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

(15) स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन/टेण्डर प्रक्रिया आदि के संबंध में विज्ञापन/टेण्डर प्रकाशित कराने में आने वाले व्यय हेतु निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आवेदन फार्म/टेण्डर विक्रय के लिये धनराशि निर्धारित करने के लिए पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3— शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
4— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
5— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7— समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, (बेसिक शिक्षा) उ0प्र0।
8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमृता सोनी)
विशेष सचिव।